सूचना का अधिकार और मानव विकास

डॉ0 राजेश कुमार[1]

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सही सूचना एवं जानकारी के अभाव में जनता न तो अपनी पसन्द की सरकार चुन सकती है और न ही सरकार तक अपनी बात रख सकती है। लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था। जिसने अपने देश के लोगों को 1766 में संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। आज नीदरलैंड, आस्ट्रिया और अमेरिका आदि देशों के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है।

1948 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकार सम्मेलन में सूचना पाने और देने को एक मानव अधिकार के रूप में अपनाया गया। इसके बाद सूचनाओं तक पहुँच के अधिकार का विचार और मुखर हो गया। फलतः कुछ देशों ने सूचना स्वातंत्र्य के कानून बनाने की बात सोचनी शुरू की। फिनलैण्ड में 1951 में ''सरकारी दस्तावेजों का सार्वजनिक स्वरूप'' कानून (पब्लिक कैरेक्टर ऑफ ऑफिशियल डॉकुमेण्ट्स एक्ट) बनाया गया तो अन्य स्कैडेनिवाई देशों– नार्वे और डेन्मार्क– ने भी 1970 में इसी प्रकार के कानून बनाएँ। अमेरिकी कांग्रेस ने 1966 में ऐतिहासिक सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम पारित किया, जो चार जुलाई, 1967 को लागू हुआ। 1974 में इसे और प्रभावशाली बनाया गया, जिससे लोगों की सरकारी दस्तावेजों और रिकार्डो तक पहुँच और सुगम हो गयी। अब जानने की आवश्यकता की अवधारणा का स्थान जानने के अधिकार ने पूरी तौर से ले लिया। 1976 और 1983 में किए गए संशोधनों से इसे और पुष्ट किया गया।

फ्रांस ने 1978 में प्रशासनिक दस्तावेजों तक पहुँच की स्वतंत्रता का अधिकार कानून बनाया। इसके प्रावधानों पर समुचित कल के लिए वहाँ एक आयोग की स्थापना भी की गई है। आस्ट्रेलिया और कनाडा ने 1982 और न्यूजीजैण्ड ने 1983 में सरकारी सूचनाओं तक पहुँच के अधिकार के कानून प्रवर्तित किए। उन सब मे गोपनीयता को अपवाद और खुलेपन को नियम बनाया गया। ब्रिटेन ने अपने शासकीय गुप्त बात कानून 1983 में उदार संशोधन करके इस दिशा में प्रभावी कदम उठाया। दक्षिण अफ्रिका के नए संविधान में भी सूचना का अधिकार शामिल कर दिया गया है। हाल में पाकिस्तान में सूचना स्वातंत्र्य अध्यादेश जारी किया गया और मलेशिया में कम्प्यूटर पर लोक प्रशासन के काम–काज की सूचना प्रणाली शुरू की गई है।

हमारे देश में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा 1952 से शुरू होती है जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतन्त्रता स्म्बन्धी जरूरी प्रावधानों पर सुझाव माँगा। आयोग ने पारदर्शिता की वकालत तो की लेकिन सूचना के अधिकार को गैर जरूरी माना। उसके बाद 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आये लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज कर इस कानून को और सख्त बना दिया गया।

1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषण पत्र में सूचना का अधिकार देने का वायदा किया। सरकार बनने के बाद कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक कार्यदल बना।

[1] प्राध्यापक, समाजकार्य, म0गाँ0 काशी विद्यापीठ, एन0टी0पी0सी0 परिसर, शक्तिनगर, सोनभद्र

उसकी रिपोर्ट भी आयी लेकिन कुछ नहीं हुआ और सरकार गिर गयीं। 1978 में प्रेस आयोग बना। इस प्रेस आयोग ने और 1966 में बनी प्रेस परिषद ने कुछ सिफारिशें की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर 1981–82 तथा 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय आए जिनमें देश के आम नागरिकों के लिए जानने के अधिकार की जबरदस्त वकालत की गयी थी।

लोगों तक सूचना का अधिकार पहुंचाने की दिशा में सार्थक प्रयास 1989 में बनी वी0पी0 सिंह की सरकार ने किया। हालांकि राष्ट्रीय मोर्चा के घोषण पत्र में भी ऐसे कानून बनाने का वायदा किया गया था। वी0पी0 सिंह स्कैंडिनेवायाई देशों के कानूनों का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों की एक टीम भेजी। इन अधिकारियों ने लौटकर कानून का एक प्रारूप भी तैयार किया लेकिन उसके प्रावधान इतने लचर थे कि खुद वी0पी0 सिंह ने ही उन्हें खारिज कर दिया। इसी बीच उनकी सरकार भी चली गयी। इसके बाद सूचना का अधिकार दिलवाने की दिशा में प्रेस परिषद सक्रिय हुई। 1990 में जस्टिस सरकारिया की अध्यक्षता में प्रेस परिषद ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की सूचना का अधिकार कानून बनाने के क्रम में इन सिफारिशों को मील का पत्थर कहा जा सकता है, लेकिन इन पर तत्कालीन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

1996 के लोक सभा चुनावों में लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार से सम्बन्धित कानून बनाने की बात कहीं। सिलसिला आगे बढ़ा और 1997 में इस सम्बन्ध में दो विधेयक लाए गए। एक विधेयक पत्रकार अरूण शौरी के पिता एच0डी0 शौरी ने बनाया था और दूसरा प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस सावंत के नेत्त्व में गठित कार्यदल ने। लेकिन ये दोनों विधेयक कानून का शक्ल नहीं ले सके। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की देवगौड़ा और गुजराल की सरकारें आयी और चली गयीं। अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने भी छः साल गवाँ दिए। अंततः दिसम्बर 2002 में कानून पास भी हुआ, लेकिन उसमें इतनी खामियाँ थी कि यू0पी0ए0 सरकार को दोबारा विधेयक तैयार करना पड़ा। इसी बीच तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और कई अन्य राज्यों ने भी कानून बना दिये थे। अरूण राय जैसों ने आंदोलन भी छोड़ दिया था। जब अरूण राय सोनिया गाँधी की सलाहकार परिषद में बनी तो कानून बनने की प्रक्रिया और तेज हुई और अब यह कानून का रूप ले चुका है।

'सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005' स्थापित किया गया है। सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19 (1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है इसकी क्या भूमिका है इसके क्या कार्य है? इत्यादि। प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है अतः इसे अधिकार मिलते है और साथ ही उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर के रूप में दी गयी धनराशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है? सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियाँ, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है। आर0टी0आई0 अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल है जिनका स्वामित्व, नियन्त्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है।

आर0टी0आई0 अधिनियम एक लोक प्राधिकरण द्वारा पारित सूचना तक पहुँच

का अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र की सूचना हासिल करना चाहता है और संबन्धित विभाग सूचना देने से इन्कार करता है तो वह निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग (सी0आई0सी0) के समक्ष अपील। शिकायत दायर कर सकता है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह एक वैध आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन की सूचना मुहैया करवाये। यदि मांगी गयी सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो सूचना ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर उपलब्ध कराई जायेगी। यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का यह मत है कि मांगी गई सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं दी जा सकती तो वह आवेदन अस्वीकार कर देगा। फिर भी आवेदन अस्वीकार करते समय वह आवेदन को ऐसी अस्वीकृति के कारण तथा अपीलीय प्राधिकारी का विवरण सूचित करेगा। यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, 30 दिन की अवधि के भीतर अथवा 48 घंटों के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा वह प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जो कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी है, को अपील कर सकता है, ऐसी अपील, उस तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए जिस तारीख से सूचना प्रदान करने की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो रही है अथवा उस तारीख से जिसको केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की सूचना अथवा निर्णय प्राप्त हुआ है। यदि अपीलीय प्राधिकारी, निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश जारी करने में असफल रहता है अथवा अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तारीख अथवा जिस तारीख को अपीलकर्ता कोा निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ हो से 90 दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकता है।